

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

संख्या - 05/स्था0-12/2011परि0-

/प.वि., पटना, दिनांक जून, 2014

निम्नलिखित मोटरयान निरीक्षकों को अगले आदेश तक उनके नाम के सामने कंडिका 5 में अंकित जिले में पदस्थापित करते हुए कंडिका 6 में अंकित जिले का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

क्र. सं.	मोटरयान निरीक्षकों का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन जिला	नवपदस्थापित जिला	अतिरिक्त प्रभार का जिला
1	2	3	4	5	6
1	श्री उपेन्द्र राव	बेतिया	मधेपुरा	गोपालगंज	
2	श्रीमती अर्चना कुमारी	नालन्दा	वैशाली	भोजपुर (आरा)	
3	श्री कौशल किशोर त्रिपाठी	मुजफ्फरपुर	औरंगाबाद	नालन्दा	
4	श्री बिनोद कुमार सिंह	औरंगाबाद	नवादा	वैशाली (हाजीपुर)	
5	श्री संजीव कुमार सिंह	पूर्णिया	मुंगेर	मधुबनी	
6	श्री सुजीत कुमार	वैशाली	सहरसा	कटिहार	
7	श्री संजय कुमार	मोतिहारी	मधुबनी	मधेपुरा	
8	श्री राकेश रंजन	पटना	सीतामढ़ी	नवादा	
9	श्री अनुप कुमार सिंह	बक्सर	जहानाबाद	दरभंगा	
10	श्री अरुण कुमार	शेखपुरा	नालन्दा	लखीसराय	
11	श्री सुनील कुमार सिंह	बेगूसराय	लखीसराय	खगड़िया	
12	श्री राकेश कुमार	पटना	बेतिया	बांका	
13	श्री कुमार विवेक	बक्सर	कटिहार	सीतामढ़ी	शिवहर
14	श्री रंजीत कुमार	गया	किशनगंज	औरंगाबाद	कैमूर
15	श्री निशांत कुमार	बेगूसराय	गोपालगंज	किशनगंज	
16	श्री दिव्य प्रकाश	बक्सर	सिवान	बेतिया	
17	श्री बिनोद कुमार	बक्सर	बांका	सिवान	
18	श्री सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी	पटना	खगड़िया	सहरसा	

- उक्त मोटरयान निरीक्षकों को योगदान स्वीकृति की तिथि से अनुमान्य वेतन एवं भत्तों का भुगतान उनके पदस्थापन वाले जिले के जिला परिवहन कार्यालय से किया

जाएगा। किसी भी परिस्थिति में जुलाई, 2014 के वेतन का भुगतान नव पदस्थापित स्थान से ही किया जाएगा।


3. संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इन मोटरयान निरीक्षकों के वेतन की निकासी हेतु सरकारी प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
4. मोटरयान निरीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से सात दिनों के अन्दर अपने पदस्थापन एवं अतिरिक्त प्रभार वाले जिले में योगदान देते हुए प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
5. जिन जिलों में मोटरयान निरीक्षकों को पदस्थापित किया गया है, उन जिलों में पूर्व से कार्यरत मोटरयान निरीक्षकों को भी निदेश दिया जाता है कि नवपदस्थापित मोटरयान निरीक्षकों के योगदान देने के उपरान्त अविलम्ब उन्हें प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

(विजय प्रकाश)

प्रधान सचिव -सह- राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक : 05/स्था0-12/2011परि0- 3589 /प.वि., पटना, दिनांक 26 जून, 2014
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित संयुक्त आयुक्त -सह- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार/ सभी संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/ सभी संबंधित मोटरयान निरीक्षक/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ सभी विभागीय पदाधिकारी/ बजट शाखा, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ स्थापना शाखा, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, परिवहन विभाग, बिहार पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव -सह- राज्य परिवहन आयुक्त